



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (4). डॉ0 संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (5). श्री आशीष कुमार गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 199 / पत्रा.सं0-568(द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि0परि0/2022-23

दिनांक: 25 अप्रैल, 2022

विषय:- डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 24वीं बैठक
दिनांक: 18 अप्रैल, 2022 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 24वीं बैठक दिनांक: 18 अप्रैल, 2022 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

25/4/22

(डा0 अमित कुमार राय)

कृते कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा० विद्या परिषद की
24वीं बैठक दिनांक: 18 अप्रैल, 2022 को आहूत
बैठक का कार्यवृत्त

समय—	मध्याह्न : 12:00 बजे
स्थान—	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद की 24वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 की धारा-30(2) में कुलसचिव को मा० विद्या परिषद का सचिव के पदगत दायित्वों के निर्वहन किये जाने की व्यवस्था है। कुलसचिव के अवकाश पर होने के कारण मा० विद्या परिषद के सचिव के पदगत दायित्व के निर्वहन परीक्षा नियंत्रक, डॉ० अमित कुमार राय द्वारा किया गया, उनके द्वारा मा० विद्या परिषद बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय
1/24	मा० विद्या परिषद की 23वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा० विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/24	मा० विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा० विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या मा० विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/24	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विभागों बी०टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया तथा विभिन्न शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक संवर्ग के पदों को विज्ञापित किये जाने पर विचार। निर्णय:- मा० विद्या परिषद द्वारा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया के प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2022-23 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विभागों बी०टेक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 के नामित प्रवेश निदेशक द्वारा सम्पादित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त प्रस्ताव पर मा० विद्या परिषद द्वारा विचार-विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 को प्रवेश निदेशक डॉ० नागेन्द्र यादव द्वारा अपने स्तर से रूपरेखा तैयार कर कुलपति विश्वविद्यालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के निर्देश मा० परिषद द्वारा प्रदान किये गये। तत्क्रम में मा० कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में स्थापित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी०टेक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य एवं तकनीकी संवर्ग के विभिन्न पदों पर सेवाएं (अनुबन्ध आधारित संविदा) लिये जाने सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्देश प्रदान किए गए:- 1. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी०टेक पाठ्यक्रमों यथा- कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिवेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं एप्लाइड साइंसेज एण्ड ह्यूमनिटिस पाठ्यक्रम में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत 33 सहायक आचार्य (परन्तु वास्तविक आवश्यकता का परीक्षण करते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में पदों की संख्या घटायी भी जा सकती है, किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी) पर (अनुबन्ध आधारित संविदा) पर सेवाएं 03 वर्षों के लिए चयन किया जायेगा एवं बी०टेक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक संवर्ग

(डॉ० अमित कुमार राय)
 सचिव
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राजा कृष्ण सिंह)
 कुलपति
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
 विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	के अन्तर्गत वेतनमान में निर्धारित न्यूनतम वेतन (रूपये 57,700.00) के अनुरूप ही सहायक आचार्य की संविदा आधारित नियमानुसार राज्य सरकार की आरक्षण व्यवस्था लागू करते हुए सेवाएं लिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. तकनीकी संवर्ग के विभिन्न पदों (प्रोग्रामर-01, कम्प्यूटर ऑपरेटर-01, लैब असिस्टेंट-06 एवं लैब टैक्नीशियन-06) की सेवाएं प्रत्येक वर्ष 11 माह के लिए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। 3. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी0टेक पाठ्यक्रमों यथा- कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं एप्लाइड साईंसेज एण्ड ह्यूमनिटिस पाठ्यक्रम में शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत चयनित सहायक आचार्यों का चयन के उपरान्त प्रत्येक 11 माह बाद पुनः Assessment कराया जायेगा, सकारात्मक Assessment के पश्चात् पुनः 11 माह के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए गए। 4. अभियांत्रिकी संस्थान के लिए एक अनुभवी आचार्य स्तर के वरिष्ठ विशेषज्ञ को संस्थान के निदेशक के रूप में तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किये जाने हेतु निर्णय प्रदान किया गया।									
4 / 24	विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में विचार।									
	निर्णय:- मा0 विद्या परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश विवरणिका तैयार कर विश्वविद्यालय के समस्त कोर्स में प्रवेश किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रो0 नागेन्द्र यादव आचार्य, प्रबन्धशास्त्र एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय को शैक्षिक सत्र 2022-23 को प्रवेश निदेशक नामित किया गया है। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 26 अप्रैल, 2022 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों से निम्नानुसार शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। <table><tr><th>पाठ्यक्रम</th><th>अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई0 डब्लू0एस0</th><th>दिव्यांग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति</th></tr><tr><td>व्यावसायिक</td><td>रु0 1000.00</td><td>रु0 500.00</td></tr><tr><td>गैर-व्यावसायिक</td><td>रु0 600.00</td><td>रु0 300.00</td></tr></table> मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है।	पाठ्यक्रम	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई0 डब्लू0एस0	दिव्यांग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	व्यावसायिक	रु0 1000.00	रु0 500.00	गैर-व्यावसायिक	रु0 600.00	रु0 300.00
पाठ्यक्रम	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई0 डब्लू0एस0	दिव्यांग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति								
व्यावसायिक	रु0 1000.00	रु0 500.00								
गैर-व्यावसायिक	रु0 600.00	रु0 300.00								
5 / 25	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।									
	(1) नैक (NAAC) से सम्बन्धित क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क (Q.I.F.)-III के सम्बन्ध में।									
	निर्णय:- मा0 विद्या परिषद नैक (NAAC) से सम्बन्धित क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क (Q.I.F.)-III के सम्बन्ध में समन्वयक, डॉ0 राशि कृष्ण सिन्हा द्वारा विभिन्न बिन्दु यथा-एडाप्शन एण्ड एकजूकेशन ऑफ यू0जी0सी0 रेग्युलेशन ऑन प्लेजियेरिजम, कोड ऑफ इथिक्स, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स/रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, एलुमनाई एसोसिएशन, कन्सल्टेन्सी पालिसी, रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट सेल, विदेशी विश्वविद्यालयों से कोलेबोरेशन, एकेडमिक कोलेबोरेशन आदि के प्रारूपों को मा0 विद्या परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया, जिस पर आगामी मा0 विद्या परिषद में संस्तुति सहित प्रारूपों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया तथा नैक हेतु रिसर्च एडवायजरी कमेटी गठन किये हेतु सर्वसम्मति से कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।									
	अन्त में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यगण को धन्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त हुयी।									